

सरकारी वभिागों में शकियात दर्ज करने के तरीके में बदलाव चर्चा में क्यों?

हाल ही में फरजी शकियातों को रोकने के लिये [उत्तराखंड](#) सरकार ने शकियात दर्ज कराते समय हलफनामा प्रस्तुत करना अनविर्य कर दिया है।

मुख्य बदि:

- **गलत वविरण से जुडी समस्या:** गलत पते और फोन नंबर वाली शकियातें पाई गई हैं, जिसके कारण नई आवश्यकता लागू की गई है।
- **शपथ-पत्र की आवश्यकता:** फरजी प्रस्तुतियों को रोकने के लिये अब शकियातों के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कया जाना चाहयि।
- **उद्देश्य:** हलफनामे की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनश्चिति करना है क सटीक और वैध शकियातें दर्ज की जाएँ तथा उनका उचित तरीके से नपिटारा कया जाए।
- **कारण:** यह कदम झूठी शकियातों की समस्या का समाधान करता है, जिससे संसाधनों और समय का अपव्यय होता है तथा यह सुनश्चिति करने में मदद करता है क केवल वास्तवकि शकियातों पर ही कार्यवाही की जाए।